भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3987
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बागपत में ग्रामीण विकास

3987. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बागपत जिले में नए औद्योगिक निवेशों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन में सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) बागपत में अवसंरचना और लोक सेवा में सुधार लाने के लिए ग्रामीण विकास हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) बागपत में ग्रामीण संपर्क में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी ग्रामीण विकास योजनाओं से बागपत के लाभान्वित ग्रामीण परिवारों की संख्या कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख) : उद्योग राज्य का विषय है। राज्य अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपनी औद्योगिक नीतियाँ स्वयं बनाते हैं। केंद्र सरकार समय-समय पर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल और नीतियाँ लाती है। सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे मेक इन इंडिया , स्टार्ट अप इंडिया, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) , ईज ऑफ डूइंग विजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना , राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) , इंडिया

इंडस्ट्री लैंड बैंक (आईआईएलबी) , प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार , परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) आदि जो देश भर में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना करते हैं।

इसके आलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई) , ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) जैसी कई योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाया जा सके , आजीविका के अवसरों को मजबूत किया जा सके , न्यूनतम गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जा सके, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके , युवाओं को विभिन्न उपयोगी व्यवसायों और उद्यमशीलता गुणों में कुशल बनाया जा सके , बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सके और सामाजिक सहायता का प्रावधान किया जा सके।

(ग) : इस मंत्रालय की मनरेगा योजना मुख्य रूप से ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित है , जिसका उद्देश्य स्थायी परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से उनकी आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021-22 से 2023-24 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 20.03.2025 तक) के दौरान इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में लगभग 1277 कार्य पूरे किए गए हैं। इसी तरह, आज की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत 75,011 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है और इसमें से 720 किलोमीटर का निर्माण बागपत जिले में ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। पीएमएवाई-जी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बागपत जिले में 149 मकानों का निर्माण किया गया है।

(घ): पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बागपत जिले सहित ग्रामीण संपर्कता में सुधार लाने और कार्यक्रम दिशानिर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकृत पीएमजीएसवाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इनमें शामिल हैं:-

i. पीएमजीएसवाई के संचालन मैनुअल में संशोधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत स्वीकृत सभी कार्य स्वीकृति की तिथि से 72 दिनों के भीतर शुरू हो जाएं।

ii. राज्यों से निष्पादन क्षमता और अनुबंध क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और इस संबंध में उनके अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाती है।

iii. बोली दस्तावेज़ प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

iv. क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्र इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

v. मंत्रालय ने राज्यों की कार्यान्वयन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को शामिल किया है।

vi. मंत्रालय ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ठेकेदारों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में कई ठेकेदार आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

vii. कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

(ङ): पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मनरेगा योजना, पीएमएवाई-जी के तहत लाभान्वित ग्रामीण परिवारों की संख्या और डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों में शामिल किए गए परिवारों की संख्या निम्नानुसार है:

i. मनरेगा योजना

वित्तीय वर्ष	**कार्य करने वाले कुल परिवार**
2021-22	2771
2022-23	2127
2023-24	1991
2024-25 (दिनांक 20.03.2025)	1538
कुल	**8427**

ii. पीएमएवाई-जी

वित्तीय वर्ष	**निर्मित मकानों की कुल संख्य**
2021-22	49
2022-23	23
2023-24	63
2024-25(वर्तमान वित्तीय वर्ष)	14

iii. डीएवाई-एनआरएलएम

वित्तीय वर्ष	**संगठित परिवारों की संख्य**
2021-22	3536
2022-23	1538
2023-24	202
2024-25(फरवरी, 2025तक)	159

****